जिला सूचना कार्यालय, बहराइच।

मूर्तिकारों को मूर्ति विक्रय की थाने पर देनी होगी जानकारी

दिनांक :– 12-10-2018

बहराइच। जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जनपद के समस्त मूर्तिकारों को आदेश दिया गया है कि उनके द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मूर्ति बेची जाती है तो यह अवश्य देख लिया जाय कि मूर्ति स्थापित करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा ली गयी है अथवा नही।

जिला प्रशासन द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि मूर्तिकार द्वारा यदि मूर्ति किसी व्यक्ति को विक्रय की जाति है तो इसकी सूचना सम्बन्धित थाने को अवश्य दी जाय, कि वह मूर्ति किसको बेची गयी है और कहां स्थापित की जायेगी। साथ ही सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी को भी इस आशय की सूचना अवश्य दी जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरते जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

:::::::::::::::::::::::::::::::::

मोबाइल नम्बर– 9453005402, दूरभाष नम्बर– 05252 232901, ई–मेल आईडी dio.bahraich@gmail .com